

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उत्कल पर उत्कल कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने व कि किसी अन्य व्यक्तियों के नाम से।
उत्कल पर उत्कल कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने व कि किसी अन्य व्यक्तियों के नाम से।



नाम : कुलसचिव
दूरभाष : 0091-0751/ 2442901
(ग्वालियर)
2442462 (फैक्स)
फैक्स : (0091-0751-2341769
E-mail :
jyoti_vasth@rediffmail.com
Website :
http://www.jyoti.edu

प्रेषक :
कुलसचिव
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एक/सम्बद्धता/2012/ 5621


दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यवाही पर बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के एड क्रमांक (16) के निर्णयानुसार डॉ पीताम्बर पीठ महाविद्यालय, लखार, मिण्ड जो सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, बी. ए. तृतीय वर्ष, बी.ए.एच.-सी. तृतीय वर्ष, बी.एस.-सी. तृतीय वर्ष, (आ.पा., जीवविज्ञान, गणित, रसायन, भौतिक एवं कम्प्यूटर साइंस), बी.ए. तृतीय वर्ष, (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, सैन्यविज्ञान एवं अर्थशास्त्र), बी.कॉम. तृतीय वर्ष, प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता नियम शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य, शिक्षकों, लाइब्रेरीयन एवं स्पोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति 28(17) में तत्काल कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
2. जिस तीज के अवन में महाविद्यालय संचालित है वह फॉलोअप चलाने योग्य जगह नहीं है अतः महाविद्यालय स्वयं की भूमि पर 09 माह के भीतर बनाया जाये।
(अपरोक्त दोनों शर्तों के अभाव में सत्र 2013-14 की सम्बद्धता प्रदान न की जाये।)
3. लाइब्रेरी में रु. 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जायें।
4. शिक्षकों को वेतल बैंक को माह्यता से दिया जाये।
5. पॉलिनेयम 27, 28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, डॉ पीताम्बर पीठ महाविद्यालय, लखार, मिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सायुद्धा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंगल संभाग, मोती गढल परिसर, ग्वालियर।
4. उच-कुलसचिव (परीक्षा/जोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)